

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2128] No. 2128] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2017/श्रावण 10, 1939 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2017/SRAVANA 10, 1939

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2017

का.आ. 2425(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 2 जनवरी, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 01(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 23.64 हेक्टेयर (लगभग) या 58.41 एकड़ (लगभग) परिक्षेत्र की माप वाली भूमि में और उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

और केन्द्रीय सरकार का उपर्युक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और झारखंड सरकार से परामर्श करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 23.64 हेक्टेयर (लगभग) या 58.41 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन किया जाना चाहिए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 23.64 हेक्टेयर (लगभग) या 58.41 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या और उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

4632GI/2017 (1)

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक आरईवी/08/2017, तारीख 17 जून, 2017 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला-रामगढ़, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, कुजू क्षेत्र, जिला रामगढ़, झारखण्ड या महाप्रबंधक, भूमि और राजस्व, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची- 834001, झारखंड या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची- 834031, झारखंड के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

चैनपुर खुली खदान परियोजना, कुजू क्षेत्र

जिला - रामगढ़ (झारखंड)

(रेखांक संख्यांक आरईवी/08/2017, तारीख 17 जून, 2017)

सभी अधिकार:

क्र. सं.	ग्राम	थाना	थाना सं॰	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणियां		
1.	सारूबेरा	मांडू	157	रामगढ़	23.64	भाग		
कुल: 23.64 हेक्टेयर (लगभग) या 58.41 एकड़ (लगभग)								

ग्राम सारूबेरा में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक : 33(भाग), 37 और 206(भाग)।

सीमा- वर्णन:

क-ख - रेखा बिन्दु 'क' से शुरू होकर प्लॉट सं. 36, 37, 38, 285(नाला) तथा 33 से गुजरते हुए और बिन्दु 'ख' पर मिलती है

ख-ग - रेखा बिन्दु 'ख' से शुरू होकर प्लॉट सं .33, 286, 206 तथा 287 से गुजरते हुए बिन्दु 'ग' पर मिलती है ।

ग-घ-ङ - रेखा बिन्दु 'ग' से शुरू होकर प्लॉट सं. 206 के भीतर बिन्दु 'घ' से गुजरते हुए प्लॉट सं. 206 के भीतर बिन्दु 'ङ' पर मिलती है ।

ङ-च-छ-ज - रेखा बिन्दु 'ङ' से शुरू होकर प्लॉट सं. 206, 267, 206, 276, 277,278, 279, 280, 279, 278, 277 तथा 276 से गुजरते हुए और बिन्दु 'ज' पर मिलती है

ज-झ-ञ-ट-ठ-क - रेखा बिन्दु 'ज' से शुरू होकर प्लॉट सं. 274, 275, 33, 67, 33, 41, 32 तथा 33 से गुजरते हुए और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

[फा. सं. 43015 / 24 / 2016—एलए एण्ड आईआर]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

[भाग II-खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2017

S.O. 2425(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 01(E), dated the 29th December, 2016, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 2nd January, 2016, the Central Government gave notice of its intention to acquire the all rights in and over the land measuring 23.64 hectares (approximately) or 58.41 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the Government of Jharkhand, is satisfied that the land measuring 23.64 hectares (approximately) or 58.41 acres (approximately) and all rights in or over such land as described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that all rights in or over such land measuring 23.64 hectares (approximately) or 58.41 acres (approximately) as described in the said Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number REV/08/2017, dated the 17th June, 2017 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, District - Ramgarh, Jharkhand or at the Office of Coal Controller, 1, Council House street, Kolkata - 700001 or at the Office of the of General Manager, Kuju Area, District - Ramgarh, Jharkhand or General Manager, Land and Revenue, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi – 834001, Jharkhand or Chief General manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi - 834031, Jharkhand.

SCHEDULE

CHAINPUR OCP OF KUJU AREA District- Ramgarh (Jharkhand)

(Plan bearing number Rev/08/2017, dated the 17th June, 2017)

All Rights:

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area in hectares	Remarks		
1.	Sarubera	Mandu	157	Ramgarh	23.64	Part		
Total: 23.64 hectares (approximately) or 58.41 acres (approximately)								

Plot numbers acquired in village Sarubera: 33(P), 37 and 206(P).

Boundary description:

A-B	- Line starts from point 'A' and passes through plot numbers 36, 37, 38, 285 (Nalla) and 33 and meets at point 'B'.
B-C	- Line starts from point 'B' and passes through plot numbers 33, 286, 206 and 287 meets at point 'C'.
C-D-E	- Line starts from point 'C' and passes through point 'D' within plot number 206 and meets at point 'E' within plot number 206.
E-F-G-H	- Line starts from point 'E' and passes through plot numbers 206,267,206, 276, 277, 278, 279, 280, 279, 278, 277 and 276 and meets at point 'H'.
H-I-J-K-L-A	- Line starts from point 'H' and passes through plot numbers 274, 275, 33, 67, 33, 41, 32 and 33 and meets at starting point 'A'.

[F. No. 43015/24/2016-LA&IR] VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.